प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र०नि० ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र०सू०रि० सं ......199/22...... दिनांक......2/5/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..धाराऐं 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी आईपीसी

   (2). अधिनियम.................................धाराऐं ....

   (3) अधिनियम.................................धाराऐं..

   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार दिनांक :– 20.05.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 04.05.2022 समय :– 01.00 पी.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......429...... समय......3.40 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 60 कि0मी0 बजानिब पूर्वोत्तर दिशा
   बीट संख्या...जुरामदेही सं..................................
   (ख). पताः– कार्यालय पटवार मण्डल कचहरी धाम, बपावर कलां जिला कोटा
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री भेरूलाल
   (ख) पिता/पति का नाम :– स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति रेगर
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 67 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– वार्ड नं0 24 रेगर मोहल्ला न्यू बस्ती धनवाड़ा, थाना कोतवाली झालावाड़ राज0
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री धनवीर पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी हनवतखेड़ा थाना बपावर कलां जिला कोटा ग्रामीण राज0 हाल हल्का पटवारी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
   2. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति नागर उम्र 39 साल निवासी बुडनी थाना बपावर कलां जिला कोटा ग्रामीण राज0 (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 40,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2022 को समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जाति रेगर उम्र 67 वर्ष निवासी वार्ड नं0 24 रेगर मोहल्ला न्यू बस्ती धनवाड़ा, थाना कोतवाली झालावाड़ (राज0) मो.नं. 6350481285 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड पर स्वंय उपस्थित होकर मन् एडीशनल एसपी, एसीबी झालावाड़ के नाम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् श्री गोपाललाल हैड कानि. नं. 26 के समक्ष एक टाईप शुदा रिपोर्ट पेश की गयी थी। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया था। चूंकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवश्यक राजकार्य से मुख्यालय से बाहर गया हुआ था। इस पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0

द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बंध में अवगत कराया गया तथा मेरे निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। परिवादी श्री भेरूलाल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मोबाईल पर वार्ता करवायी। परिवादी श्री भेरूलाल ने दरियाफ्त पर उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना बताया जो इस संबंध में किसी को कोई जिक्र नहीं करेगा तथा गोपनीय कार्यवाही को गुप्त रखेगा। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसका ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में ससुराल है। उसके ससुर श्री धन्नालाल पुत्र किशना के नाम से खसरा नं0 553, 555 व 556 रकबा 0.81 हेक्टेयर (लगभग 5 बीघा) भूमि ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उसके ससुर श्री धन्नालाल का स्वर्गवास होने के बाद उसकी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम खसरा नं0 553, 555 व 556 रकबा 0.81 हेक्टेयर (लगभग 5 बीघा) भूमि का नामांतकरण संख्या 700 दिनांक 05.07.2012 से उसकी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम दर्ज हो गया है। परन्तु इस भूमि पर ग्राम मोईकला के ही मदन मास्टर पुत्र श्री रघुनाथ धाकड़ ने अवैध रूप से अपनी भूमि बताकर कब्जा कर रखा है तथा कहता है कि यह भूमि मेरी है। आज से 10 दिन पूर्व इस सम्बंध में मैं पटवार हल्का मोईकला के पटवारी श्री दानवीर जी से ग्राम बपावर में उनके पटवार घर पर मिला तथा मेरी समस्या बतायी तो उन्होने कहा कि तुम्हारी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम दर्ज जमीन की नाप–जोख (पैमाईश) करवाकर कब्जा हंटवा दूंगा। जो जमीन तुम्हारी पत्नि की होगी उसकी पैमाईश हो जायेगी। इस पर हल्का पटवारी श्री दानवीर जी ने कहा कि सारा काम कराने के लिए तुम्हे 80,000रूपये देने पड़ेगे। इतना बड़ा काम है बिना रूपये दिये नहीं होगा। मुझे भी मेरे ऊपर के अधिकारियों को रूपये देने पड़ेगे तभी जाकर काम हो पायेगा। नहीं तो तुम चक्कर काटते रहो, तुम्हारे पास 80,000रूपये की व्यवस्था हो जाये तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारा सारा काम हो जायेगा। मैं मेरे जायज काम के लिए हल्का पटवारी मोईकलां को 80,000रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश अथवा रूपये पैसे का पुराना लेन देन बकाया नही है। मैं रिपोर्ट के साथ मेरा आधार कार्ड, नकल मानचित्र तथा नकल जमाबंदी की फोटोप्रति भी पेश कर रहा हूं। मेरी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई ने कार्यवाही कराने के लिए मुझे अधिकृत कर रखा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधी में आने पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर वार्ता कर अवगत करवाया जाकर मेरे निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु परिवादी श्री भैरूलाल को आरोपी श्री दानवीर के पास ग्राम बपावर कलां भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने हेतु पाबन्द किया। दिनांक 04.05.2022 समय 01.30 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 ने मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर चेक किया जाकर परिवादी श्री भैरूलाल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु उसकी निजी मोटरसाईकिल पर बैठाकर परिवादी श्री भैरूलाल को उसके साथ दोनों को आवश्यक हिदायत देकर रवाना बपावर कलां के लिये किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब करवाकर जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया। दिनांक 04.05.2022 समय 05.45 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 अपनी निजी मोटरसाईकिल पर परिवादी श्री भैरूलाल को बैठाकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को श्री देवदान सिंह कानि0 ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करने पर परिवादी श्री भैरूलाल से पूछताछ की गयी। परिवादी श्री भैरूलाल ने बताया कि मैं श्री देवदान सिंह जी की मोटरसाईकिल पर पीछे वैठकर ग्राम वपावर कलां में स्कूल के पास स्थित पटवार घर पहुंचा तथा श्री देवदान सिंह जी कुछ दूरी पर आड में अपनी मोटर साईकिल खड़ी कर मुझे आरोपी श्री दानवीर से रिश्वत मांग वार्तालाप करने के लिए भेजा था तथा उन्होने वताया कि मैं यही पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं पटवार घर के अन्दर पहुंचा तो वहां पर हल्का पटवारी मोईकलां श्री दानवीर जी काम करते हुए मिले। श्री दानवीर जी से मैंने मेरी पत्नि श्रीमती कैलाश वाई के नाम से अवैध कब्जा की हुई जमीन पर कब्जा हटवाने तथा पैमाईश करवाने के सम्बंध में वार्तालाप की थी। मेरे कहने पर वह 40,000रूपये रिश्वत राशि देने पर मेरा काम करने के लिए राजी हो गये है तथा उन्होने यह भी कहा कि जव भी पूरे रूपये की व्यवस्था हो जाये तब मुझसे मोबाईल पर फोन कर सम्पर्क कर आ जाना तेरा काम हो जायेगा। हल्का पटवारी मोईकलां श्री दानवीर जी से बातचीत के दौरान आप द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। बाहर आकर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर श्री देवदान सिंह जी को सुपुर्द कर दिया था। परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की हमराह गये कानि0 श्री देवदान सिंह द्वारा पुष्टि की गयी। परिवादी श्री भेरूलाल ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि

40,000रूपये की व्यवस्था करने में समय लगेगा तथा इससे कम रिश्वत राशि आरोपी श्री दानवीर नहीं लेगा। अतः मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आरोपी श्री दानवीर से सम्पर्क कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी श्री भेरूलाल को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर अपने घर के लिए रूखसत किया गया। रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 द्वारा सुरक्षित रूप से मालखाना में रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के सम्बंध में सम्पूर्ण हालात श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर वार्ता कर अवगत कराये गये। आयन्दा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री भैरूलाल के ट्रेप कार्यवाही हेतु मय रिश्वत राशि ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जाकर उनके समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 07.05.2022 समय 10:30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 ने परिवादी श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जाति रेगर उम्र 67 वर्ष निवासी वार्ड नं0 24 रेगर मोहल्ला न्यू बस्ती धनवाड़ा, थाना कोतवाली झालावाड़ (राज0) द्वारा ट्रेप कार्यवाही कराये जाने बाबत् प्रस्तुत किये गये मूल प्रार्थना पत्र तथा उस पर मेरे निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बंधी रनिंग नोट, फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर आदि कागजात की पत्रावली मेरे समक्ष पेश की तथा पूछने पर मौखिक रूप से पुनः परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही बाबत् सम्पूर्ण हालात बताये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 से परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा ट्रेप कार्यवाही कराये जाने बाबत् जानकारी लेने पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 ने अवगत कराया कि परिवादी गरीब व्यक्ति है तथा परिवादी ने उसे बताया था कि रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में उसको समय लग सकता है। अतः रिश्वत राशि की व्यवस्था करने तथा आरोपी श्री दानवीर से सम्पर्क होने के पश्चात् परिवादी मेरे मोबाईल पर जानकारी दे देगा कि ट्रेप कार्यवाही कब की जानी है। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को हिदायत दी गयी कि, परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा उसके मोबाईल पर ट्रेप कार्यवाही के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे अवगत कराने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तत्काल जानकारी देवें। दिनांक 18.05.2022 समय 04.00 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो कार्यालय में अवगत कराया कि अभी-अभी परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा जरिये मोबाईल उसको जानकारी दी है कि परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000रूपये की व्यवस्था कर ली गयी है तथा रिश्वत राशि व्यवस्था होने के बाद आरोपी से परिवादी द्वारा मोबाईल पर सम्पर्क करने पर कल दिनांक 19.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे बाद आरोपी श्री दानवीर ने ग्राम बपावर स्थित पटवार घर पर उसे बुलाया है। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 ने यह भी अवगत कराया कि परिवादी श्री भेरूलाल ने उसको यह भी बताया कि वह बीमार हो जाने तथा सम्पूर्ण रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह इतना लेट हो गया था। दिनांक 18.05.2022 समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा जरिये मोबाईल दिनांक 19.05.2022 को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को बताया कि आरोपी श्री दानवीर हल्का पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर प्रातः 11.00 बजे ग्राम बपावर स्थित पटवार घर पर बुलाया है। अतः दिनांक 19.05.2022 को गोपनीय कार्यवाही करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ (राज0) के नाम तहरीर क्रमांक 752 दिनांक 18.05.2022 मूर्तिब कर दो सरकारी गवाह भिजवाने बाबत् श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को देकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ भिजवाया गया। दिनांक 18.05.2022 समय 04.45 पीएम पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ (राज0) से श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री देवदान सिंह कानि. ने अवगत कराया कि कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ (राज0) द्वारा अपने पत्रांक 234 दिनांक 18.05.2022 से गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार भाटिया पुत्र श्री प्राणनाथ जाति पंजाबी उम्र 56 वर्ष निवासी 24-ऐश्वर्य नगर, नई कोतवाली के पीछे झालावाड़ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आबकारी वृत्त झालावाड़ मोबाईल नं0 9829797205 तथा श्री अजय रावल पुत्र श्री सीताराम जाति रावल उम्र 37 वर्ष निवासी घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ हाल जमादार द्वितीय श्रेणी कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल झालावाड़ मोबाईल नं0 9460219314 को पाबन्द कर दिया गया है। वह दिनांक 19.05.2022 को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जायेगें। दिनांक 19.05.2022 समय 08:45 एएम पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 एक व्यक्ति को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि यही परिवादी श्री भेरूलाल है, जिन्होंने दिनांक 04.05.2022 को आरोपी श्री दानवीर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा उस दिन आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था जो वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गयी थी उक्त रिकॉर्डर सुरक्षित मालखाने में रखा हुआ है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जाति रेगर उम्र 67 वर्ष निवासी वार्ड नं0 24 रेगर मोहल्ला न्यू बस्ती धनवाड़ा, थाना कोतवाली झालावाड़ (राज0) होना बताया तथा दिनांक 04.05.2022 को कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में आरोपी श्री दानवीर

पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000/–रूपये अपने साथ लेकर आना बताया। परिवादी ने पूर्व में दिनांक 04.05.2022 को स्वंय द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से दरियाफ्त पर पुनः पूछताछ की गई। दिनांक 19.05.2022 समय 09:00 एएम पर पूर्व में पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ (राज0) से श्री संजय कुमार भाटिया हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आबकारी वृत्त झालावाड़ तथा श्री अजय रावल हाल जमादार द्वितीय श्रेणी कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल झालावाड़ कार्यालय में हाजिर आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया गया तथा परिवादी श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जाति रेगर उम्र 67 वर्ष निवासी वार्ड नं0 24 रेगर मोहल्ला न्यू बस्ती धनवाड़ा, थाना कोतवाली झालावाड़ (राज0) से आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 04.05.2022 को एसीबी कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तथा उनसे ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई व प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 19.05.2022 समय 09:15 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया व श्री अजय रावल की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकार्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 04.05.2022 को ग्राम बपावर कलां में स्कूल के पास स्थित पटवार घर पर आरोपी श्री दानवीर पटवारी, पटवार हल्का मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल से 40,000रूपये की रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री भेरूलाल को वार्ता को सुनाई गई जिसमें वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री भेरूलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री दानवीर पटवारी की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 19.05.2022 समय 10:30 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया व श्री अजय रावल के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने पास से 40,000 रूपये आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500–500 रूपये के कुल 80 नोट भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गयी तथा उक्त कानि. के द्वारा ही 40,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया से परिवादी श्री भेरूलाल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री भेरूलाल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व मे आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पडे तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन

से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणो ने अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री भेरूलाल को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टांत मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान संबंधितो ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 19.05.2022 समय 11:15 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया व श्री अजय रावल तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि0 नं0 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब बपावर की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे-आगे परिवादी श्री भेरूलाल को श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 की मोटरसाईकिल पर पिछे बैठाकर रवाना किया। तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 19.05.2022 समय 12:15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो सरकारी गवाहान् एवं एसीबी जाब्ता के साथ लाये हुए अपने-अपने वाहनो से बपावर कस्बे के बाहर बाईपास पर रूका। परिवादी को हिदायत कर डिजीटल टेप रिकार्डर मय रिश्वत राशि के श्री देवदान सिंह कॉनि0 व श्री पवन कुमार कॉनि0 के साथ जरिये मोटर साईकिल पर बीच में बिठाकर पटवार घर की ओर कस्बा बपावर के लिये रवाना किया गया व हिदायत दी गयी की यथास्थिति की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर जानकारी देते रहें। दिनांक 19.05. 2022 समय 12:45 पीएम पर श्री देवदान सिंह कॉनि0 व श्री पवन कुमार कॉनि0 मय परिवादी श्री भेरूलाल के जरिये मोटरसाईकिल मेरे समक्ष बपावर बाईपास पर उपस्थित आये। परिवादी श्री भेरूलाल ने बताया कि पटवार घर से कुछ दूरी पर मुझे मोटरसाईकिल से उतार दिया था। मैं पटवार घर पहुंचा जहां पर मुझे वहां उपस्थित लोगों बताया कि पटवारी जी आज अवकाश पर है। कल सुबह 10 बजे आ जाना। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 व श्री पवन कुमार कानि0 से पूछा गया तो उन्होने परिवादी के कथनों की तायद की। दिनांक 19.05.2022 समय 12:55 पीएम पर आरोपी श्री दानवीर पटवारी के अवकाश पर होने के कारण ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता साथ लाये अपने-अपने वाहनों से यथास्थिती बपावर बाईपास से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 19.05.2022 समय 02:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री भेरूलाल के मय जाब्ता अपने-अपने वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को परिवादी श्री भेरूलाल से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000रूपये निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाये गये तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी श्री भेरूलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनियता बरतने की हिदायत कर कल दिनांक 20.05.2022 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 20. 05.2022 समय 09:40 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल कार्यालय में उपस्थित आया। दिनांक 20.05.2022 समय 09:50 एएम पर पूर्व में पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा श्री अजय रावल जमादार द्वितीय श्रेणी कार्यालय में हाजिर आये। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर मालखाने में रखी गयी रिश्वत राशि 40,000/-रूपये व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवायी गयी। स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार भाटिया से परिवादी श्री भेरूलाल की तलाशी लिवाकर उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं रहने दी गयी तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह श्री संजय कुमार भाटिया को निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 से रिश्वत राशि का लिफाफा प्राप्त करवाकर श्री संजय कुमार भाटिया से ही लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 40 हजार रूपये के नोटों को निकलवाकर परिवादी श्री भेरूलाल की पेंट की दाहिनी में रखवायी गयी तथा श्री संजय कुमार भाटिया के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। परिवादी को रिश्वत लेनदेन के समय वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। दिनांक 20.05.2022 समय 10:00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री भेरूलाल, स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया व श्री अजय रावल तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरज मल कानि. नं. 521, श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि0 नं0 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब बपावर की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 20.05.2022 समय 11:30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व दोनों स्वतंत्र

गवाहान के मय परिवादी श्री भेरूलाल के अपने-अपने वाहनों से करबा बपावर कलां कार्यालय पटवार मण्डल के पास पहुंचा। परिवादी श्री भेरूलाल को हिदायत कर मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व रिश्वत राशि के आरोपी के पास कार्यालय पटवार मण्डल कचहरी धाम, बपावर कलां के लिए रवाना किया तथा श्री सूरजमल कानि0, श्री पवन कुमार कानि0 को निर्देश देकर पटवार मण्डल की बायीं दिशा में निगरानी हेतु तथा श्री देवदान सिंह कानि0 को पटवार मण्डल की दायीं दिशा में श्री सर्व सिद्धेश्वर महोदव मन्दिर के पास निगरानी हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व शेष जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहन में पटवार मण्डल के दायीं दिशा में आम रोड़ के मोड़ पर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ एवं ट्रेप जाल बिछाया। दिनांक 20.05.2022 समय 11:50 एएम पर परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा कचहरी धाम बपावर कलां में स्थित पटवार मण्डल कार्यालय के बाहर आकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर कार्यालय पटवार मण्डल के बायीं दिशा में निगरानी हेतु पहले से ही खड़े किये हुए श्री सूरजमल कानि0, श्री पवन कुमार कानि0 तथा दायीं दिशा में श्री सर्व सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़े श्री देवदान सिंह कानि0 को परिवादी के नजदीक आने का ईशारा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के शेष सदस्यों व स्वतंत्र गवाहान को सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से नीचे उतारकर हमराह लेकर पटवार घर के सामने खड़े परिवादी श्री भेरूलाल के पास पहुँचा तथा परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री भेरूलाल से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे मे पूछा गया तो परिवादी श्री भेरूलाल ने पूछने पर रूबरू गवाहान बताया कि मैंने हल्का पटवारी श्री धनवीर मीणा को 40,000रूपये रिश्वत राशि देने के बाद उसने वहां उपस्थित एक हल्के नीले रंग की जींस की पेन्ट व काले रंग शर्ट पहने गोरे से व्यक्ति को रिश्वत राशि के 40,000रूपये की गड्डी देकर पटवार घर के पिछे की तरफ भेज दिया है तथा आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी, पटवार घर के अन्दर कुर्सी पर बैठकर राजकार्य कर रहा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री भेरूलाल के पिछे पिछे पटवार घर की सिढियां चढकर अन्दर प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर बैठे काले रंग की शर्ट पहने गोरे से युवक की और ईशारा कर बताया कि, साहब यही श्री धनवीर पटवारी जी है जिन्होने मुझसे अभी-अभी मुझसे मेरी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई की जमीन की पेमाईश कराने व कब्जा दिलवाने की एवज में रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर वहां उपस्थित एक हल्के नीले रंग की जींस की पेन्ट व काले रंग शर्ट पहने गोरे से व्यक्ति को रिश्वत राशि की गड्डी देकर पटवार घर के पिछे की तरफ भेज दिया था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को ट्रेप पार्टी व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम धनवीर पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी हनवतखेड़ा थाना बपावर कलां जिला कोटा ग्रामीण राज0 हाल हल्का पटवारी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री धनवीर से वहां उपस्थित रिश्वत राशि देकर भिजवाने वाले हल्के नीले रंग की जींस की पेन्ट व काले रंग शर्ट पहने गोरे से व्यक्ति जिसको उसके द्वारा रिश्वत राशि देकर पटवार घर के पिछे की तरफ भेज दिया था। उसके बारे में पूछा तो आरोपी श्री धनवीर पटवारी ने बताया कि वह मेरे परिचित श्री कन्हैयालाल नागर है। इस पर आरोपी श्री धनवीर को श्री कन्हैया लाल नागर के मोबाईल पर कॉल कर पटवार घर बुलाया गया। तो कुछ देर पश्चात् एक हल्के नीले रंग की जींस की पेन्ट व काले रंग शर्ट पहने गोरे सा व्यक्ति पटवार घर के अन्दर आया। जिसे रूबरू गवाहान परिवादी श्री भेरूलाल ने भी पहचान कर बताया कि साहब यही वह व्यक्ति है जिसको श्री धनवीर मीणा पटवारी ने रिश्वत राशि देकर पटवार घर के पिछे की तरफ भेज दिया था तथा आपके आने पर सिढियों से चढकर यह व्यक्ति छत के ऊपर भगा दिया था। इस पर आरोपी श्री धनवीर पटवारी से पूछा कि क्या यह वही व्यक्ति है, जिसको आप द्वारा रिश्वत राशि के 40,000रूपये दिये गये है तो आरोपी श्री धनवीर पटवारी ने सहमति देते हुए कहा कि हां साहब यही श्री कन्हैया लाल नागर है। इस पर उस व्यक्ति को ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय दिया तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कन्हैयालाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति नागर उम्र 39 साल निवासी बुडनी थाना बपावर कलां जिला कोटा ग्रामीण राज0 होना बताया तथा कहा कि मैं श्री धनवीर पटवारी जी को जानता हूं तथा वह भी मुझे पहचानते है। उन्होने मुझे पटवार घर में मौजूदगी के समय 500-500रूपये के नोटो की एक गड्डी दिलवायी थी। जिसे मैंने मेरी हल्के नीले रंग की जिन्स की सामने वाली बायीं जेब में रख ली थी। मुझे पता नहीं था कि यह रिश्वत राशि है। परन्तु वह गड्डी जेब में रखने के बाद जब आप बहुत सारे लोग पटवार घर के अन्दर आये तो श्री धनवीर पटवारी जी ने उनको शक होने पर मुझे छत. पर जाने वाली सिढियों से ऊपर छत पर भाग जाने का ईशारा किया तो मैं समझा कि कोई फर्जी काम के रूपये है इसलिये मैंने पटवार घर के दाहिनी तरफ वाली गली में उन नोटो को फेंक दिया है तथा वहां से चुपचाप दूर खड़ा देखता रहा। परन्तु जब श्री धनवीर पटवारी जी ने मुझे मोबाईल पर कॉल कर बुलाया तो उनके बुलाने पर मैं तुरन्त आपके पास आ गया हूं। मेरे द्वारा जिस जगह पर नोटो फेंका गया है वहां ले जाकर आपको बता सकता हूं। अभिरक्षा व धोवन की दृष्टि से

मौके पर उपस्थित आरोपी श्री धनवीर मीणा का दाहिना हाथ श्री सूरज मल कानि0 व बायां हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 के जरिये कलाई से ऊपर पकडवाकर वहीं पटवार घर में बैठाया गया तथा अन्य आरोपी श्री कन्हैया लाल नागर का दाहिना हाथ श्री पवन कुमार कानि0 तथा बायां हाथ श्री शिवराज कानि0 से पकडवाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री भेरूलाल को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पटवार घर के पिछे से छत पर जाने वाली सिढियां चढकर छत पर होते हुए दाहिनी तरफ पहुंचा तो गली में सूखे नीम के पीले पत्तों पर 500-500रूपये के नोट बिखरे हुए पड़े नजर आ रहे थे। बिखरे हुए पड़े रिश्वत राशि के नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री अजय रावल से गली में उतवाकर उठवाकर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार भाटिया को फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट देकर नोटो को फर्द में अंकित क्रमांनुसार कराया जाकर चेक करवाया गया तो हुबहु रिश्वत राशि वाले 500-500रूपये के 80 नोट कुल 40,000रूपये बरामद किये गये। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:-

1	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6BA 446049
2	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2MC 805053
3	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	3GQ 552869
4	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7QB 613444
5	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2GP 292268
6	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5VK 428616
7	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	8EA 245929
8	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	8EA 245928
9	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1RW 118353
10	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1MS 851363
11	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1HD 307171
12	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5UK 548910
13	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	8CB 695773
14	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5UK 528041
15	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5UK 528040
16	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1FB 454819
17	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	9QD 823063
18	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	9AR 881374
19	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5RG 381732
20	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	3GK 939396
21	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1WA 276756
22	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1PT 618953
23	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6CT 473110
24	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7MH 921734
25	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6HR 368339
26	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6NB 134802
27	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7BB 049261
28	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6TQ 644990
29	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6DA 465140
30	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	3CH 721852
31	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5GQ 187775
32	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4AM 659667
33	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	3UV 602818
34	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2FL 167186
35	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4AV 619852
36	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7BB 357735
37	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7BB 304072
38	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2KH 348020
39	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7SK 173486
40	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0RS 053922
41	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0DD 014016

42	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2DG 655370
43	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2AV 496530
44	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3BS 736249
45	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7WV 954245
46	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KQ 777627
47	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2MW 765111
48	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0AP 356226
49	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3FG 840166
50	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8BS 175387
51	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7KQ 865428
52	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4RD 671908
53	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2SU 051528
54	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2WP 857613
55	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1AR 727725
56	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0BK 051048
57	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4FL 992882
58	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9AB 864229
59	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9DN 452027
60	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8DK 764735
61	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6TK 258223
62	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3FG 122548
63	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247926
64	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8EA 764402
65	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0KK 043221
66	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6NV 630313
67	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6PL 127766
68	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2VV 942039
69	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9AH 901878
70	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3AQ 156887
71	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5MT 434226
72	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7DR 173435
73	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2BE 496325
74	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EW 361908
75	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247928
76	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247927
77	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247929
78	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247930
79	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247934
80	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DG 247935

उक्त बरामद नोटो को कागज मे मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी से परिवादी श्री भेरूलाल रेगर से मांगी गयी रिश्वत राशि के 40,000रूपये बाबत् पूछा गया कि यह रिश्वत राशि उसने क्यों व किसके लिए तथा किस उद्देश्य से मांगी व दिलवायी गयी है तो उसने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि दिनांक 04.05.2022 को श्री भेरूलाल रेगर मेरे पास यही पटवार घर पर आया था। उसकी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम से मोईकलां में जमीन है जिसकी पेमाईश का आदेश हो रखा है। मुझसे हल्का पटवारी मोईकलां श्री भोजराज मीणा ने कहा कि तुम भेरूलाल रेगर से रूपयों की बात करो तो उसके कहने पर मैंने 80,000रूपये देने पर जमीन की पेमाईश करने की बात भेरूलाल रेगर से की थी। श्री भोजराज ने कहा था कि मुझे आधे रूपये तहसीलदार साहब सांगोद को देने है। यह आदमी मेरे पास बार–बार चक्कर काट रहा है इसलिए तुम इससे बात कर लेना। इस पर मैंने उसके कहने पर श्री भेरूलाल रेगर को कह दिया था कि

40,000रूपये दे देना तेरा काम हो जायेगा। मुझसे गलती हो गयी। मुझे माफ करें। यह काम मेरे पटवार हल्के का नहीं है। इसकी पेमाईश के कागजात भी श्री भोजराज पटवारी हल्का मोईकलां के पास ही है। पटवार घर बपावर कलां में ट्रेप कार्यवाही के समय उपस्थित मिले श्री भोजराज पटवारी हल्का मोईकलां के मुंशी श्री हरिओम पोटर द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल के पेण्डिंग कार्य भूमि पेमाईश व कब्जा दिलाने सम्बंधी पत्रावली को रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री भेरूलाल की मौजूदगी में श्री भोजराज मीणा हल्का पटवारी मोईकलां की अलमारी में से परिवादी श्री भेरूलाल की पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के द्वारा तहसीलदार सांगोद के नाम दिये गये भूमि की पेमाईश सम्बंधी प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि की पत्रावली बरामद करायी। जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी श्री भेरूलाल रेगर ने आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए कहा कि मैं दिनांक 04.05.2022 को जब पेमाईश के काम के लिए पटवार घर बपावर कलां आया था तब श्री धनवीर मीणा पटवारी के अलावा श्री भोजराज मीणा पटवारी भी वही मौजूद था। श्री भोजराज मीणा पटवारी ने कहा कि तुम धनवीर पटवारी जी बात कर लो इस पर इनके द्वारा मुझसे मेरी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम की जमीन की पेमाईश करने व कब्जा दिलाने के नाम पर 80,000रूपये रिश्वत की मांग की थी। परन्तु मेरे द्वारा हाथाजोड़ी करने पर उसने 40,000रूपये की व्यवस्था कर लाकर देने पर सारा काम कराने की गारण्टी ली थी। इस पर मैंने उसी रोज आपके कार्यालय में रिपोर्ट देने पर देवदान सिंह जी के साथ आकर इनकी सारी रिश्वत की बातचीत डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। जिस पर आज 40,000रूपये रिश्वत राशि के साथ श्री धनवीर मीणा व श्री कन्हैया लाल नागर को आपकी टीम ने आज ट्रेप कर लिया है। आरोपी श्री धनवीर मीणा के स्पष्टीकरण व परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा किये गये खण्डन के पश्चात् अन्य आरोपी श्री कन्हैया लाल नागर से स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने पूर्व में दिये गये कथनों को ही दौहराते हुए बताया कि उसने धनवीर पटवारी जी के कहने पर यह रूपये लिये थे। उसको पता नहीं था कि वह रिश्वत राशि के रूपये है। शक होने पर उन्होने ईशारा करते ही मैंने छत पर जाकर गली में रिश्वत राशि के रूपये फेंक दिये थे। मैं श्री भेरूलाल रेगर को भी नहीं जानता हूं। मुझसे गलती हो गयी। मुझे धनवीर पटवारी जी के कहने पर रूपये नहीं लेने चाहिए थे। फिर आरोपी श्री धनवीर मीणा के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री धनवीर मीणा के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा मोके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का डीआरएच-1, डीआरएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री धनवीर मीणा के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का ड़ीएलएच-1, डीएलएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर अन्य आरोपी श्री कन्हैया लाल नागर के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री कन्हैया लाल नागर के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा मोके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का केआरएच-1, केआरएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री कन्हैया लाल नागर के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का केएलएच-1, केएलएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर आरोपी श्री कन्हैया लाल नागर को अन्य पेन्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई, पहनी हुयी नीले रंग की जीन्स की पेन्ट की बायीं जेब को उल्टवाकर उक्त घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरकर मौके पर ही सील-मोहर चिट कर मार्का केपी-1, केपी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पेन्ट की जेब की धुलाई के पश्चात पंखे की

हवा मे सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपडे की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा जीन्स की पेन्ट के शील्ड शुदा पैकेट को जब्त कर मार्क–पी अंकित किया गया। रिश्वत राशि फेंके स्थान नीम के पीले पत्तों का धोवन नहीं लिया जा सकने के कारण रिश्वत राशि फेंके स्थान की धुलाई नहीं करायी जा सकी। आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी तथा श्री कन्हैया लाल नागर (प्राईवेट व्यक्ति) की तलाशी में ऐसी कोई बहुमूल्य वस्तु/धनराशि/कागजात नहीं मिले जिन्हें कब्जा ब्यूरो लिया जा सके। दोनों आरोपीगणों के द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे मोबाईलों को अनुसंधान हेतु कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 20.05.2022 समय 04:40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भेरूलाल के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20.05.2022 समय 05:00 पीएम पर आरोपी श्री धनवीर मीणा हाल हल्का पटवारी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा व समय 05:10 पीएम पर आरोपी श्री कन्हैया लाल (प्राईवेट व्यक्ति) दोनों की अलग–अलग जामा तलाशी गवाह श्री संजय कुमार भाटिया से लिवायी जाकर रूबरू गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना मौके पर मौजूद उनके परिचित श्री हरिओम पोटर निवासी बपावर कलां को दी गई। दिनांक 20.05.2022 समय 05:20 पीएम पर आरोपी श्री धनवीर मीणा हल्का पटवारी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री संजय कुमार भाटिया व श्री अजय रावल के समक्ष, दिनांक 04.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 20.05.2022 को रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, का परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री धनवीर मीणा ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 20.05.2022 समय 05:30 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री भेरूलाल, दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी श्री कन्हैयालाल नागर प्राईवेट व्यक्ति को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 40,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल डीएलएच–1, डीएलएच–2, केआरएच–1, केआरएच–2, केपी–1, केपी–2, पेन्ट का शील्ड शुदा पेकेट मार्क–पी मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 07:00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 20.05.2022 समय 07:15 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 20.05.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी एवं परिवादी के बीच हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री देवदान सिंह कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मुर्तिब कर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 20.05.2022 समय 08:30 पीएम पर दिनांक 04.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 20.05.2022 को रिश्वत लेनदेन वार्ता जो आरोपी व परिवादी के मध्य हुई थी। उक्त दोनों वार्ताओं जो कार्यालय कम्प्यूटर में सेव थी। दोनों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री धनवीर मीणा के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्वन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 20.05.2022 समय 08:35 पीएम पर परिवादी श्री भेरूलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार भाटिया व श्री अजय रावल को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया। दिनांक 20.05.2022 समय 08:40 पीएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण आरोपी श्री धनवीर मीणा व श्री कन्हैयालाल नागर को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर बाद कोरोना टैस्ट करवाकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री शिवराज कानि. नं. 166 के साथ

जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। जो समय 09:20 पीएम पर आरोपीगणों को थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री भेरूलाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जाति रेगर उम्र 67 वर्ष निवासी वार्ड नं0 24 रेगर मोहल्ला न्यू बस्ती धनवाड़ा, थाना कोतवाली झालावाड़ (राज0) ने दिनांक 04.05.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि परिवादी श्री भेरूलाल की पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम खसरा नम्बर 553,555 व 556 रकबा 0.81 हेक्टयर (लगभग 05 बीघा) भूमि ग्राम मोईकलां हल्का मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा की पेमाईश के आदेश होने के बाद भी आरोपी श्री धनवीर हल्का पटवारी लटूरी द्वारा अपना हल्का नहीं होने के उपरान्त भी भूमि की पेमाईश कराने व कब्जा दिलाने की एवज में स्वंय व ऊपर के अधिकारियों को देने के लिए 80,000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। जिस पर उसी दिन रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। दौराने सत्यापन परिवादी द्वारा हाथाजोड़ी करने व रिश्वत राशि कम करने की कहने पर आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी द्वारा 40,000रूपये रिश्वत राशि देने पर भूमि की पेमाईश करने के लिए तैयार हुआ। जो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से साबित है। इस पर ट्रेप कार्यवाही के आयोजन का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 40,000रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 19.05.2022 को कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप का आयोजन किया परन्तु आरोपी के अवकाश पर होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। तदुपरोन्त दिनांक 20.05.2022 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर बपावर पहुंचकर परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आरोपी के पास भेजा गया। आरोपी श्री धनवीर मीणा हल्का पटवारी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा द्वारा कस्बा बपावर में स्थित कार्यालय पटवार मण्डल में परिवादी श्री भेरूलाल से रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राप्त कर उसके वहां उस समय मौजूद प्राईवेट व्यक्ति श्री कन्हैयालाल नागर को रिश्वत राशि देकर पटवार भवन के पिछे की तरफ भिजवाना व श्री कन्हैया लाल नागर द्वारा रिश्वत राशि को अपनी पेंट की सामने वाली बायीं जेब में रखना तथा ट्रेप पार्टी आने पर श्री धनवीर मीणा हल्का पटवारी द्वारा श्री कन्हैया लाल को पटवार मण्डल भवन के पिछे छत की सीढ़ियों से ऊपर जाने का ईशारा कर पटवार भवन के दाहिनी दिशा की तरफ वाली गली में रिश्वत राशि के 40,000रूपये श्री कन्हैयालाल नागर द्वारा अपनी पहनी पेंट की जेब से निकालकर फेंक देना। इस पर गली में पड़े हुए नीम के सूखे पत्तो पर फेंकने पर बिखरे हुए रिश्वत राशि के नोटो को स्वतंत्र गवाहान से उठवाकर क्रमवार कर बरामद करना तथा आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व आरोपी श्री कन्हैयालाल नागर प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ का धोवन मटमेला व बायें हाथ का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना तथा आरोपी श्री कन्हैयालाल नागर की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त होना। आरोपीगणों को उक्त कृत्य पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी से परिवादी श्री भेरूलाल रेगर से मांगी गयी रिश्वत राशि के 40,000रूपये बावत् पूछा तो उसने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि दिनांक 04.05.2022 को श्री भेरूलाल रेगर मेरे पास यही पटवार घर पर आया था। उसकी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम से मोईकलां में जमीन है जिसकी पेमाईश का आदेश हो रखा है। मुझसे हल्का पटवारी मोईकलां श्री भोजराज मीणा ने कहा कि तुम भेरूलाल रेगर से रूपयों की बात करो तो उसके कहने पर मैंने 80,000रूपये देने पर जमीन की पेमाईश करने की बात भेरूलाल रेगर से की थी। श्री भोजराज ने कहा था कि मुझे आधे रूपये तहसीलदार साहब सांगोद को देने है। यह आदमी मेरे पास बार-बार चक्कर काट रहा है इसलिए तुम इससे बात कर लेना। इस पर मैंने उसके कहने पर श्री भेरूलाल रेगर को कह दिया था कि 40,000रूपये दे देना तेरा काम हो जायेगा। इसकी पेमाईश के कागजात भी श्री भोजराज पटवारी हल्का मोईकलां के पास ही है। पटवार घर बपावर कलां में ट्रेप कार्यवाही के समय उपस्थित मिले श्री भोजराज पटवारी हल्का मोईकलां के मुंशी श्री हरिओम पोटर द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल के पेण्डिंग कार्य भूमि पेमाईश व कब्जा दिलाने सम्बंधी पत्रावली को रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री भेरूलाल की मौजूदगी में श्री भोजराज मीणा हल्का पटवारी मोईकलां की अलमारी में से परिवादी श्री भेरूलाल की पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के द्वारा तहसीलदार सांगोद के नाम दिये गये भूमि की पेमाईश सम्बंधी प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेरा आदि की पत्रावली बरामद करायी। जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी श्री भेरूलाल रेगर ने आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए कहा कि मैं दिनांक 04.05.2022 को जब पेमाईश के काम के लिए पटवार घर बपावर कलां आया था तब श्री धनवीर मीणा पटवारी के अलावा श्री भोजराज मीणा पटवारी भी वही

मौजूद था। श्री भोजराज मीणा पटवारी ने कहा कि तुम धनवीर पटवारी जी बात कर लो इस पर इनके द्वारा मुझसे मेरी पत्नि श्रीमती कैलाश बाई के नाम की जमीन की पेमाईश करने व कब्जा दिलाने के नाम पर 80,000रूपये रिश्वत की मांग की थी। परन्तु मेरे द्वारा हाथाजोड़ी करने पर उसने 40,000रूपये की व्यवस्था कर लाकर देने पर सारा काम कराने की गारण्टी ली थी। आरोपी श्री धनवीर मीणा पटवारी व परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा वक्त ट्रेप कार्यवाही अपने स्पष्टीकरण में कहे कथनों अनुसार श्री भोजराज मीणा पटवारी, हल्का पटवार मोईकलां व तहसीलदार सांगोद के विरूद्ध लगाये आरोपों पर भी अनुसंधान किया जाना है। परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.05.2022 में अंकित अन्य व्यक्ति के बारे में पूछने पर परिवादी श्री भेरूलाल ने अवगत करवाया कि साहब वह अन्य व्यक्ति श्री भोजराज मीणा पटवारी ही था। इस प्रकार ट्रेप कार्यवाही के समय परिवादी श्री भेरूलाल व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में श्री भोजराज मीणा पटवारी की अलमारी से उनके मुंशी श्री हरिओम पोटर द्वारा परिवादी के पेण्डिंग कार्य की पत्रावली बरामद कराना तथा पेण्डिंग कार्य श्री भोजराज मीणा के हल्का क्षेत्र मोईकलां से सम्बंधित होना आदि तथ्य श्री भोजराज पटवारी हल्का मोईकलां के रिश्वत मांग में संलिप्तता होना व्यक्त करते है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.04.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान तहसीलदार सांगोद के नाम से ग्राम मोईकलां में आयोजित शिविर में परिवादी श्री भेरूलाल की पत्नि श्रीमती कैलाश बाई द्वारा अपनी जमीन खसरा नम्बर 553, 555 व 556 की पेमाईश के सम्बध में तहसीलदार सांगोद को पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर एक माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी तहसीलदार सांगोद के अधीनस्थ पटवार हल्का मोईकलां के पटवारी श्री भोजराज मीणा द्वारा पेमाईश कार्य नहीं कर आरोपी श्री धनवीर मीणा हल्का पटवारी लटूरी के मार्फत 80,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री धनवीर मीणा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में यह तथ्य व्यक्त करना कि श्री भोजराज मीणा हल्का पटवारी मोईकलां द्वारा मुझे बताया गया था कि 80,000रूपये रिश्वत राशि में से मुझे आधे रूपये तहसीलदार साहब सांगोद को जमीन की पेमाईश का आदेश देने की एवज में देने पड़ेगें एवं एक माह व्यतीत हो जाने के बाद भी तहसीलदार सांगोद द्वारा दिये गये अपने आदेश की अधीनस्थ हल्का पटवारी श्री भोजराज मीणा से पालना नहीं कराना तथा पालना कराने हेतु स्मरण पत्र जारी नहीं करना आदि तथ्य तहसीलदार सांगोद की भूमिका के सम्बंध में भी अनुसंधान से स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि भूमि पेमाईश के लिए रिश्वत मांग करने सम्बंधी व अधीनस्थ पटवारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप रिश्वत में शामिल होने के तथ्य सही है अथवा नहीं।

इस प्रकार आरोपीगण श्री धनवीर पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी हनवतखेड़ा थाना बपावर कलां जिला कोटा ग्रामीण राज0 हाल हल्का पटवारी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 व श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति नागर उम्र 39 साल निवासी बुडनी थाना बपावर कलां जिला कोटा ग्रामीण राज0 (प्राईवेट व्यक्ति) तथा अन्य के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सी0पी0एस0 राज0 जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री धनवीर, पटवारी, पटवार हल्का लटूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा एवं 2. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति-नागर निवासी बुडनी थाना बपावर कलां, जिला कोटा ग्रामीण (प्राईवेट व्यक्ति) तथा अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 199/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1760-64 दिनांक 21.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

21.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।